

सं० सं०-टी-5/विधि-10/2023.....10/0/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक(LWE),
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सेवा में,

आई०टी० प्रबंधक,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....16.04.2025

विषय-

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के अनुपालन में निदेशालय से संबंधित उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी Reportable Judgement का हिन्दी अनुवाद विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि उप सचिव-सह-विधी प्रभारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-305 दिनांक-23.01.2025 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आलोक में सभी Reportable Judgement का हिन्दी अनुवाद आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) से संबंधित वाद C.W.J.C.No.- 13951/2024 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-19.09.2024 को एवं C.W.J.C.No.- 15816/2023, C.W.J.C.No.- 15866/2023, C.W.J.C.No.- 16335/2023, C.W.J.C.No.- 2162/2024 तथा C.W.J.C.No.- 3385/2024 में दिनांक-17.05.2024 को पारित Reportable Judgement का Google हिन्दी अनुवाद की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त निदेशक(LWE),
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पटना उच्च न्यायालय में

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13951

=====

अर्जुन कुमार पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर सिंह, निवासी ग्राम- गुलाब सिंह के अंग्रेजी, थाना- कारपी, जिला- अरवल।

... .. याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. बिहार राज्य अपने अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना।
4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना, अपने सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से।
5. प्रभारी अधिकारी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना।

... .. उत्तरदाता/रों

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/एस के लिए: श्री संजीव कुमार, एडवोकेट।
 सुश्री प्रिया रंजन, एडवोकेट
 सुश्री चांदनी कुमारी, अधिवक्ता
 श्री मुकेश कुमार, एडवोकेट
 बी.टी.एस.सी. के लिए : श्री निकेश कुमार, एडवोकेट
 राज्य के लिए : श्री सर्वेश कुमार सिंह, एएजी -13

=====

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति पूर्णदु सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 19-09-2024

याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री संजीव कुमार को सुना; बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विद्वान वकील श्री निकेश कुमार और राज्य के लिए एएजी-13 सीखने वाले श्री सर्वेश कुमार सिंह ने किया।

2. वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 1 में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों की मांग की है, जिन्हें इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"यह विज्ञापन संख्या 11/2023 के संबंध में व्यापार प्रशिक्षक (टर्नर) के चयन के संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित अदिनांकित आदेश को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश, निर्देश (ओं) को जारी करने के लिए एक आवेदन है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को चरण -2 के लिए योग्य नहीं घोषित किया गया है जो पूरी तरह से खराब, अवैध है क्योंकि स्कोर कार्ड पहले चरण में लिखित परीक्षा के साथ 25 अंक जोड़े बिना जारी किया गया है मेमो संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 में निहित परिपत्र द्वारा और बिहार राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या 12956 दिनांक 16.08.2024 में निहित स्पष्टीकरण और आगे प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कि वे पहले चरण की लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों के साथ उपरोक्त 25 अंक जोड़ें और उसके बाद पहले चरण की लिखित परीक्षा के परिणाम को फिर से प्रकाशित/संशोधित करें और आगे दूसरे चरण के लिए उनके मामलों पर विचार करें चरण परीक्षा और उसके बाद अंतिम परिणाम प्रकाशित करने और विज्ञापन संख्या 11/2023 के संबंध में व्यापार प्रशिक्षक (टर्नर) के पद पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और आगे किसी भी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार हो सकता है।

संक्षिप्त तथ्य

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 07.03.2010 को हिंदी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में एक विज्ञापन संख्या 10274 (श्रम) 9-10 प्रकाशित किया गया था, जिसमें अनुबंध के आधार पर 'व्यापार प्रशिक्षक' के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। विज्ञापन के नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 257 पर अपनी स्थिति पाए जाने के बाद, आदेश संख्या 1836 दिनांक 22.04.2010 के माध्यम से "व्यापार प्रशिक्षक (टर्नर)" के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद पत्र संख्या 2613 दिनांक 18.06.2010 के तहत, याचिकाकर्ता को आईटीआई, दीघाघाट, पटना में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुबंध को नियमित रूप से वर्षवार नवीनीकृत किया गया था।

4. श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, अधिसूचना संख्या 950 दिनांक 11.5.2018 के माध्यम से "बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियम 2018" लेकर आया था, जिसमें अधिसूचना संख्या 2157 दिनांक 07.10.2022 द्वारा संशोधन किया गया है और संशोधित नियमों के संदर्भ में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने "व्यापार प्रशिक्षक" के स्थायी पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 2023 का एक विज्ञापन संख्या 11 प्रकाशित किया था। याचिकाकर्ताओं ने पात्र होने के नाते, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आवेदन किया था और अर्हता प्राप्त नहीं होने के कारण, वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतिकरण

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को जारी किया गया स्कोर कार्ड बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियम, 2018 के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं है।

6. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि नियम 2018 के अनुसार, याचिकाकर्ता को योग्य माना जाएगा, यदि याचिकाकर्ता के मामले को नियम 9, उप नियम (ई), (एफ) और (एल) के अनुसार परीक्षा के पहले चरण में उसके द्वारा प्राप्त 36.25% अंकों में 25 अंक जोड़कर माना जाता है। विद्वान वकील ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेमो संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 में निहित स्पष्टीकरण का उल्लेख किया है, और प्रस्तुत किया है कि यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता जैसे पात्र उम्मीदवार, जिन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था/किया गया था, खंड IV में किए गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में, अधिकतम 25 अंकों का वेटेज 5 वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने वाले उम्मीदवार को संतोषजनक ढंग से दिया जाना आवश्यक है और उक्त अंक नियम 2018 के नियम 9 (ई) के अनुरूप प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाना आवश्यक है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पत्र संख्या 12956 दिनांक 16.08.2024 (अनुलग्नक पी/6) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 25 अंक दोनों चरणों यानी पहले चरण और चयन के दूसरे चरण में जोड़े जाने हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 36.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और इस तरह, जब नियम 9, उप नियम (ई), (एफ) और (एल) की आवश्यकता के अनुसार, 25 प्रतिशत जोड़ा जाता है, तो याचिकाकर्ता दोनों चरणों में योग्य हो जाता है।

7. विद्वान वकील ने अपने रुख के समर्थन में आगे यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के संदर्भ में न्यूनतम योग्यता अंकों का पालन याचिकाकर्ता के मामले में नहीं किया गया है, जिसने 100 अंकों में से 36.25 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और लिखित परीक्षा के पहले चरण में प्राप्त अंकों के अलावा 25 अंक नहीं जोड़कर उत्तरदाता सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों और स्पष्टीकरण के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में, रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 13 में एक विशिष्ट बयान दिया है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है

"13. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने मेमो नंबर 12956 दिनांक 16.08.2024 में निहित एक स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी की, जिसके तहत और जहां यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों चरणों में अंक जोड़े जाने हैं, पहले चरण में आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में 25 अंकों को जोड़ा जाना है और उक्त वजन अंक चयन के दूसरे चरण में भी दिया जाना है।

8. याचिकाकर्ता ने पूरक हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 7 और 8 में फिर से इसे दोहराया है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"7. यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मददेनजर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि उन उम्मीदवारों की अपेक्षित योग्यता के प्रमाण पत्रों पर भी प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा विचार किया गया है, जिनके संबंध में उपरोक्त विज्ञापन संख्या 11/2023 दिनांक 28.06.2023 में कोई उल्लेख नहीं था और उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जहाज पर विचार किया गया था और उन्हें लाभ दिए गए थे, लेकिन 25 के अनुभव अंक नहीं थे याचिकाकर्ता द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा गया, हालांकि 11.05.2018 को ही बनाए गए नियम अर्थात् बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक कैडर नियम, 2018 और ज्ञापन संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 में निहित परिपत्र और ज्ञापन संख्या 12956 दिनांक 16.08.2024 में निहित स्पष्टीकरण आदेश द्वारा एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

8. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उपर्युक्त विज्ञापन के खंड III में चयन की प्रक्रियाओं का प्रावधान है और यह उपखंड I प्रदान करता है कि पहले चरण में एक लिखित परीक्षा होगी और जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेगा वह केवल द्वितीय चरण में दिखाई देगा और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों में 25 अंकों के अनुभव अंक जोड़े जाने थे। उपरोक्त नियमों के अनुसरण में लिखित परीक्षा, परिपत्र दिनांक 22.01.2021 और स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 16.08.2024 लेकिन इसे नहीं जोड़ा गया है जो उपरोक्त नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है। परिपत्र और आदेश।

9. प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में पैराग्राफ नंबर 6 में भी उन्होंने इसे दोहराया है, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"6. कि जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ नंबर 12 में दिए गए बयान के जवाब में यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि यह पूरी तरह से गलत और गलत है। यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चयन प्रक्रिया में दो चरण होंगे, पहले चरण में एक लिखित परीक्षा होगी और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक के संबंध में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था और दूसरे चरण में केवल एक निश्चित दिशा में मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान है, जहां यह उल्लेख नहीं किया गया है कि केवल अनुभव अंक दिए जाएंगे उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें न्यूनतम योग्यता अंक मिलेंगे, बल्कि दूसरी ओर, उपर्युक्त नियम 2018, परिपत्र दिनांक 22.01.2021 और स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 16.08.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि 25 अंकों के अनुभव अंक लिखित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़े जाने हैं और इस तरह यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ

संख्या 12 में दिए गए उपरोक्त कथन जवाबी हलफनामे का उल्लंघन पूरी तरह से निराधार और गलत है।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत करना

10. इसके विपरीत, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से पेश विद्वान वकील श्री निकेश कुमार ने स्कोर कार्ड (अनुलग्नक-पी/7) का जिक्र करते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का स्कोर कार्ड यह दर्शाएगा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक 36.25 प्रतिशत अंक हैं, जो विज्ञापन (अनुलग्नक-पी/5) के खंड 3 (एच) के संदर्भ में और दूसरे चरण में विचार किए जाने के लिए अंकों से कम है और खंड (2) के उप खंड (डी) के संदर्भ में मेरिट सूची तैयार करने के लिए, याचिकाकर्ता को केवल न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद ही विचार किया जाना आवश्यक था। अपने लिखित अंकों में वेटेज पॉइंट जोड़ने के लिए याचिकाकर्ता का तर्क, और वह भी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना, को खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं मिला है, क्योंकि विज्ञापन में ही पहले चरण में लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए बिना कार्य अनुभव के वेटेज पॉइंट को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. पार्टियों को सुना।

12. इससे पहले कि मैं वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुख्य प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ूं, क्या याचिकाकर्ता 2023 के विज्ञापन संख्या 11 के अनुसार 10.09.2023 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ था, चयन और नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारी निर्देश का निर्देश के संदर्भ में सख्ती से पालन किया जाना था?

13. इस संबंध में, मुझे प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 10 में निहित दिनांक 28.06.2023 के उपरोक्त विज्ञापन के प्रासंगिक नियमों और नियमों और शर्तों को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त लगता है।

14. नियम 9 में 2018 के नियमों में रोजगार की प्रक्रिया का प्रावधान है और विशेष रूप से नियम 9 (ई) में निम्नानुसार कहा गया है: -

"(ई) सामान्य प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना संख्या 8025 दिनांक 21.05.2013 के अनुसार, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण स्कंध), श्रम संसाधन विभाग के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यापार अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मांग के खिलाफ, प्रत्येक वर्ष के लिए 05 (पांच) अंकों का वेटेज अधिकतम 25 (पच्चीस) अंकों के अधीन उपरोक्त अवधि के लिए

एक पूर्ण वर्ष पर विचार करके दिया जाएगा उन अनुदेशकों, जिन्हें नियोजित किया गया है और संविदा पर कार्य कर रहे हैं और जिनके पास नियमित नियुक्ति के लिए सभी निर्धारित अर्हताएं हैं, को महीनों की संतोषजनक सेवा प्रदान की जाती है। अधिक आयु की स्थिति में, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण विंग) में सेवा की अवधि के अनुभव के लिए अधिकतम आयु में समकक्ष अवधि की छूट दी जाएगी।

15. प्रतिवादी संख्या 4 और 5, अपने जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 10 में प्रासंगिक खंड -10 लाए हैं, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"10. चयन की प्रक्रिया— (i) प्रथम चरण — "लिखित परीक्षा" . लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।

परीक्षा का पाठ्यक्रम —

(a) प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न कार्यक्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे।

(b) कार्यक्षेत्र ज्ञान (80 प्रश्न) के अन्तर्गत प्रश्न, भारत सरकार के Ministry of skill Development & Entrepreneurship के Directorate General of Training द्वारा Turner हेतु निर्धारित अद्यतन Curriculum के अनुसार पूछे जायेंगे।

(c) शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(d) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer based Test के माध्यम से आयोजित किया जायेगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किये जाने के कारण परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जायेगा।

(e) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकेन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) अंक काटा जायेगा।

(f) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा-फल घोषित किया जायेगा।

(g) समानीकरण (Normalization) के पश्चात प्राप्त अंक को मेधा सूची तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जायेगा।

(h) कार्मिक एवं प्रशानिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-962 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा के सामान्य वर्ग के लिए 40 %, पिछड़ा वर्ग के लिए-36.5 %, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए- 34 % एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32 % निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा। (Emphasis Supplied)

(ii) द्वितीय चरण — चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जायेगी —

a) लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा। — 50 अंक

b) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0)/शिक्षता प्रमाण-पत्र के लिए प्राप्त अंको के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा। - 20 अंक

c) सी0आई0टी0एस0 परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत को 30 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा। - 30 अंक

d) श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंको की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यविवरणों की संख्या के 05 से गुणा करने पश्चात् 365 से भगा देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी। 25 अंक

कुल-125 अंक

6. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र की प्रति तथा आरक्षण से सम्बंधित सूचना की प्रविष्टि कर सभी वांछित प्रमाण-पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(ii) कंडिका-3 (ii)(d) के अन्तर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में) निर्गत करने के लिए श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके पदस्थापन स्थल के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सक्षम प्राधिकार होंगे।

8. योग्यता से सम्बंधित सभी प्रमाण-पत्र यथा- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र वहीं मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों के निर्गत होने की तिथि 02.08.2023 के पूर्व का होना आवश्यक है।

9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र अंक-पत्र काउन्सिलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउन्सिलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

10. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूली रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

13. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियों सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।

16. सामान्य प्रशासन विभाग ने मेमो नंबर 2374 दिनांक 16.07.2007 और मेमो नंबर 962 दिनांक 22.01.2021 में निहित दो स्पष्टीकरण निर्देश दिए थे, और उसी याचिकाकर्ता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया स्पष्टीकरण यदि याचिकाकर्ता के मामले में लागू होता है, तो 36.25 प्रतिशत अंक प्राप्त अंकों में 25 अंक जोड़कर, याचिकाकर्ता का परीक्षा के दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करना बरकरार नहीं रह सकता है।

17. 2023 के वर्तमान विज्ञापन संख्या 11 में, कोई अलग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा नहीं है, लेकिन विज्ञापन में ही कार्य अनुभव के संबंध में वेटेज पॉइंट देने का प्रावधान किया गया है जैसा कि खंड 3 (ii) (डी) से प्रकट होगा, जिसमें शर्त लगाई गई है कि भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को क्लॉज 3 (आई) (एच) के मददेनजर न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे। याचिकाकर्ता ने बीसी श्रेणी में आवेदन किया था और मेरिट पॉइंट के रूप में 36.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उसका सामान्यीकृत स्कोर भी 36.25 प्रतिशत अंक है, जबकि दूसरे चरण के लिए पात्र होने के लिए क्लॉज 3 (i) (एच) के मददेनजर, एक उम्मीदवार को न्यूनतम 36.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे और इस तरह याचिकाकर्ता को न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करने के मददेनजर, आयोग ने उन्हें दूसरे चरण के लिए योग्य नहीं पाया है और इस तरह, उन्हें मेरिट सूची में जगह नहीं मिली है।

18. मैंने दिनांक 28.06.2023 के विज्ञापन के संबंध में बाद के दो स्पष्टीकरणों पर भी गंभीरता से विचार किया है, मुझे लगता है कि कहीं भी, स्पष्टीकरण ने परीक्षा के पहले चरण में प्राप्त किए जाने वाले आवश्यक न्यूनतम अंकों को बदल दिया है। याचिकाकर्ता ने भी रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 13 में यह तथ्य नहीं बताया है कि विज्ञापन के पैराग्राफ संख्या 3 में उपखंड (एच) में निर्धारित अंकों के प्रतिशत के बावजूद, 25 अंक जोड़े जाने थे। बेशक, याचिकाकर्ता ने 36.25 प्रतिशत प्राप्त किए हैं, मुझे रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 13 में दिए गए बयान को पुनः प्रस्तुत करना उचित लगता है, जिसे अन्य बातों के साथ इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"13. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने मेमो संख्या 12956 दिनांक 16.08.2024 में निहित एक स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी की, जिसके तहत और जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों चरणों में अंक जोड़े जाने हैं, वजन यानी वजन 25 अंकों को पहले चरण में आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाना है और उक्त वजन के अंकों को जोड़ा जाना है चयन के दूसरे चरण में भी दिया जाना है।

19. बहस के दौरान, विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करके स्पष्टीकरण के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की है कि किसी भी मामले में, परीक्षा के दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के संबंध में विज्ञापन के पैराग्राफ संख्या 10 (3) के संबंध में स्पष्टीकरण का मतलब केवल यह होगा कि याचिकाकर्ता के अनुभव को देखते हुए वर्ष की संख्या को वेटेज दिया जाना चाहिए, पहले 25 अंक जोड़े जाने की आवश्यकता थी, केवल यह कहा जा सकता है विज्ञापन के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए और यहां तक कि स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विज्ञापन की अवधि में खंड 3 (i) (एच) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई विचलन किया गया है और इसे अधिसूचना में नोट किया गया है।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यूनतम योग्यता अंक उम्मीदवारी को समाप्त करने के लिए बेंचमार्क है और इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि उम्मीदवार, जो विज्ञापन के खंड -10 के नियमों और शर्तों में निहित न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं, केवल दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और फिर उनके अनुभव के अनुसार वेटेज देने के लिए 25 अंकों तक वेटेज जोड़ा जाएगा, जिन्होंने संविदा कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है।

21. भारत संघ बनाम महेंद्र सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 909 में 25.07.2022 को फैसला सुनाया, निर्धारित कानून पर विचार करने पर, स्पष्ट शब्दों में माना गया है कि चयन और नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारी के निर्देशों का निर्देशों के संदर्भ में सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक था। मुझे पूर्वोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 16 और 17 को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त लगता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

"16. उक्त सिद्धांत का पालन इस न्यायालय द्वारा चेस्कुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार में किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

"14. जहां विधि किसी बात को किसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किसी विशिष्ट रीति से किए जाने का निर्धारण करती है वहां वह विधि के उपबंधों का अनुसरण करते हुए उसी रीति से विहित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना की जाएगी.....

17. इसी तरह, ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) बनाम अभिलाष लाल 12 और ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक 13 में इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का पालन किया है। चूंकि विज्ञापन में आवेदन पत्र भरने के तरीके और उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयास पर भी विचार किया गया है, इसलिए इसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया तर्क कि समय की कमी के कारण, रिट याचिकाकर्ता ने एक अलग भाषा में उत्तर पुस्तिका का प्रयास किया हो सकता है, उचित नहीं है क्योंकि अलग-अलग भाषा का उपयोग स्वयं न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में किसी भी तरह से रिट याचिकाकर्ता को वंचित करता है।

12. (2020) 13 एससीसी 234

13. (2021) 6 एससीसी 707

22. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सिद्धांत मौजूदा मामले पर पूरी तरह से लागू होते हैं।

23. याचिकाकर्ता, जो एक पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार है, जिसने परीक्षा के पहले चरण में योग्यता अंकों का 36.5 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया है, मुझे नहीं लगता कि चरण- II के लिए याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित करके, उत्तरदाताओं ने किसी भी तरह से कोई अवैधता की है या 2023 के विज्ञापन संख्या 11 में निहित निर्देश से विचलित हुए हैं।

24. मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

25. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

(पुर्णन्दु सिंह, जे)

नीरज/-

डिस्कलेमर (खंडन)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त व्यवहारिक कार्यालयीय न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।